

## सार्वजनिक सूचना

### सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनादाता के संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प

भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को किसी भी भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के आरोप को जानकारी में लाने वाली शिकायत प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने हेतु एक "निर्दिष्ट एजेंसी" के रूप में प्राधिकृत किया है।

2. इस संबंध में आयोग का अधिकार क्षेत्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों या केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा अथवा अंतर्गत स्थापित किसी निगम या सरकारी कंपनियों या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए सीमित होगा। **राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कार्मिक तथा राज्य सरकारों या इसके निगमों इत्यादि की गतिविधियाँ आयोग के क्षेत्र में नहीं आएंगी।**

3. इस संबंध में इस आयोग जो उक्त प्रकार की शिकायतों को प्राप्त करेगा, के पास उस शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखने की जिम्मेदारी भी है। अतः आम जनता के लिए यह सूचित किया जाता है कि इस संकल्प के अधीन कोई भी शिकायत करते समय निम्नलिखित पहलुओं का पालन करना होगा।

- 1) शिकायत बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।
- 2) लिफाफा सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित होना चाहिए और लिफाफे के ऊपर "लोक हित प्रकटीकरणके तहत शिकायत" लिखा हुआ होना चाहिए। यदि लिफाफे पर उक्तानुसार नहीं लिखा हुआ हो या उसे बंद नहीं किया गया हो तो, आयोग के लिए उपरोक्त संकल्प के अधीन शिकायत को संरक्षित करना संभव नहीं होगा और शिकायत पर कार्रवाई आयोग की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार की जाएगी। शिकायतकर्ता को अपना नाम एवं पता संबंधी विवरण शिकायत के प्रारंभ में या अंत में या संलग्न पत्र में देना होगा।
- 3) आयोग बेनाम/छद्मनामी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करेगा।
- 4) शिकायत का सार/पाठ सावधानीपूर्वक बनाया जाना चाहिए ताकि उसमें अपनी पहचान का कोई भी विवरण या सुरागन हो। तथापि, शिकायत का विवरण स्पष्ट एवं जांच योग्य होना चाहिए।
- 5) व्यक्ति की पहचान को संरक्षित करने के लिए, आयोग कोई पावती नहीं देगा और उन्हें सलाह दी जाती है कि वह अपने निजी हित हेतु आयोग के साथ कोई पत्राचार न करें। आयोग आश्वासन देता है कि मामले के तथ्य सत्यापित होने पर, उपरोक्त वर्णित भारत सरकार के संकल्प के अधीन आवश्यक कार्रवाई करेगा। यदि कोई और स्पष्टीकरण आवश्यक हुआ तो आयोग शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा।

4. इस संकल्प के अंतर्गत निरर्थक या तंग करने के लिए शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता के विरुद्ध आयोग कार्यवाई भी कर सकता है।

5. विस्तृत अधिसूचना की प्रति आयोग की वेबसाइट [www.cvc.nic.in](http://www.cvc.nic.in) पर उपलब्ध है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, आईएनए, सतर्कता भवन, नई दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

ह/-  
सचिव  
केन्द्रीय सतर्कता आयोग